श्री अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगडिया की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2018 को बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं मानसी प्रखंड अंतर्गत नयी अनुज्ञप्ति देने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— यथा पंजी।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, —सह— अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के अनुशंसा के साथ प्राप्त अभिलेखों को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया। विभागीय पत्रांक 4842/खाद्य, दिनांक 25.09.2017 में स्पष्ट है कि मृत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के नियुक्त मामले में शैक्षिणक योग्यता इत्यादि से संबंधित अर्हत्ता बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अधिसूचित होने की तिथि (14 मार्च 2016) के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के सभी मामलों में उम्र, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की अर्हता वही होगी जो बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के द्वारा निर्धारित की गयी है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका सं0— 10 में अनुकम्पा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु किसी अनुज्ञप्तिधारी की 58(अन्ठावन) वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर उसकी दुकान प्राथमिकता के आधार पर मृत अनुज्ञप्तिधारी की पत्नी/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्रवधु और पुत्र की विधवा पुत्र को आवंटन की जा सकेगी। उपर्युक्त में एक से अधिक आश्रित हो, तो शेष से एक पक्ष में हक छोड़ने के लिए शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति धारी की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर ही उसके आश्रित द्वारा आवेदन पत्र देने पर, उस पर विचार किया जायेगा। यदि स्वीकृत होती है, तो उचित मूल्य की दुकान की ऐसी अनुज्ञप्ति एक नई अनुज्ञप्ति होगी और आगे भी अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञेय होगी किन्तु मृत अनुज्ञप्तिधारी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में या सरकारी लाभ के पद पर हो, तो ऐसे परिवार को अनुकम्पा का लाभ नहीं मिलेगा।

जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा बैठक में कुल 17 (सत्रह) आवेदनों का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि सार्वजनिक वितरण वितरण प्रणाली आदेश 2016 के तहत प्रावधान के तहत कुल 05 (पाँच) आवेदन स्वीकृत योग्य पाये गये है, साथ ही सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक से प्राप्त आवेदन पर संलग्न कागजातों प्रमाण—पत्रों तथा मृत अनुज्ञप्तिधारी के सभी आश्रितों का आवेदक के पक्ष में सहमति संबंधी शपथ पत्र एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जांचोपरान्त किए गये अनुशंसा के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा मृत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित आवेदक को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी —सह— अनुज्ञापन पदाधिकारी, खगड़िया को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अभिलेख वापस की जाती है।

अनुकम्पा के आधार पर नयी अनुज्ञप्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी की सूची।

क्र0 स0	आवेदक का नाम	मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता का नाम	विक्रेता की जन्म तिथि	मृत्यु की तिथि	मृत्यु के समय उम्र	आवेदन की तिथि	वंशावली	अनापत्ति प्रमाण संबंधी शपथ पत्र	अनियोजन प्रमाण – पत्र	आवेदक योग्यता।	कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी प्रमाण –पत्र	पुराना अनुप्ति का नवीकरण स्थिति।	अभियुक्ति।
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रजनीश कुमार	स्व0 तुरंती प्रसाद सिंह	01.01.1961	16.02.2017	56 वर्ष	21.09.2017	संलग्न है।	संलग्न है।	संलग्न है।	इण्टर	संलग्न है।	वर्ष 2021 तक नवीकरण है।	चयनित।
2	अमित कुमार	स्व0 वीरेन्द्र प्रसाद साह	01.01 1965	09.03 2016	51 वर्ष	19.04.2017	संलग्न है।	संलग्न	संलग्न है।	इंटर	संलग्न है।	वर्ष 2016 तक नवीकृत।	चयनित।
3	सत्यम कुमार	वेदानंद चौधरी	14.01.1961	17 09 2015	54 वर्ष	समय-सीमा के अंदर	संलग्न है।	संलग्न है।	संलग्न है।	इन्टर	संलग्न है।	वर्ष 2016 तक नवीकृत।	चयनित।
4	अभिषेक कुमार	मसो0 सीता देवी	15.04.1970	20.05.2018	48 वर्ष	30.06.2018	संलग्न है।	संलग्न है।	संलग्न है।	इन्टर	संलग्न है।	वर्ष 2021 तक नवीकरण है।	चयनित।
5	अमित कुमार	स्व0 देवनंदन पटेल	01.01 1964	30 11 2017	54 वर्ष	01.06.2018	संलग्न है।	संलग्न है।	संलग्न है।	इन्टर	संलग्न है।	वर्ष 2020 तक नवीकृत।	चयनित।

अन्य 12(बारह) आवेदनों में सम्पूर्ण कागजात नहीं रहने के फलस्वरूप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कागजात के साथ आगामी बैठक में आवेदनों को उपस्थापित करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया। साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जो वांछित कागजात आवेदकों से अविलंब प्राप्त कर जिला स्तरीय चयन समिति को भेजना सुनिश्चित करें ताकि जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निर्णय लिया जा सके।

साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत् चयन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया से मानसी प्रखंड अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया। जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों द्वारा सभी आवेदनों का अवलोकन कर चयन किया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को चयन सूची को प्रकाशन करते हुए 07 (सात) दिनों के अंदर दावा आपत्ति प्राप्त कर सुनवाई उपरांत अंतिम प्रकाशन हेतु निदेशित किया गया **चयनित सूची संलग्न।**

मानसी प्रखंड के अमनी पंचायत अनारक्षित कोटी में संजय कुमार, पे0– गणेश प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0– अमनी, थाना– मानसी की योग्यता वरीयता क्रम में सबसे उपर थी परंतु अंचल अधिकारी द्वारा उनके जमीन को संदेहास्पद प्रतिवेदित किये जाने के कारण उक्त कोटी की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी।

मानसी प्रखंड के खुटिया पंचायत के पिछड़ा वर्ग महिला कोटी में रीता देवी, पति– संतोष कुमार यादव, ग्राम+पो0+थाना– मानसी, जिला– खगड़िया की योग्यता सबसे अधिक थी, परंतु आवेदक के नाम में अंतर होने के कारण उक्त कोटी की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी।

मानसी प्रखंड के पश्चिमी ठाठा पंचायत अंतर्गत महिला अनारक्षित कोटि में रंजीता कुमारी यादव, पति– चंदन कुमार यादव, ग्राम– राजाजान, प्रखंड– मानसी, जिला– खगड़िया की योग्यता सबसे अधिक थी, परंतु शपथ पत्र में हस्ताक्षर नहीं होने, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र में पूर्ण नाम अंकित नहीं होने एवं अनियोजन प्रमाण–पत्र में पूर्ण नाम अंकित नहीं होने के कारण उक्त कोटी की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी। स्थगित कोटि के आवेदनों पर जाँचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। आवेदकों को दावा आपत्ति का समय दिये जाने का निर्णय लिया गया। दावा आपत्ति की समयावधि के बाद जाँचोपरांत चयन का अंतिम निर्णय लिया जायेगा। समयावधि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अन्य प्रखंड से नयी अनुज्ञप्ति हेतु जाँचोपरांत आवेदन अप्राप्त रहने पर जिलाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए संबंधित जाँच पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग हेतु जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, खगड़िया को निदेशित किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/7/18

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 434 /जि0आ0, दिनांक 30.7.18.

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/18

जिलाधिकारी,
खगड़िया।